न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः—   उम्मेदी लाल मीना (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :—   122 / 2023

स्टेट जरिये श्री रफीक मोहम्मद, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ

—प्रार्थी

—:बनाम:—

गौरव पुत्र मोहनलाल अरोड़ा (विक्रेता)
मैसर्सः—सेतिया डेयरी, नई आबादी, गली नं. 19, हनुमानगढ़ टाउन, तहसील एवं जिला हनुमानगढ़।
निवासीः—वार्ड नं. 26, नई आबादी, गली नं. 19, हनुमानगढ़ टाउन, जिला हनुमानगढ़।

—अप्रार्थी

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 (2) (2) एवं धारा 51

उपस्थितः—

1. श्री रफीक मोहम्मद, खाद्य सुरक्षा अधिकारी राज्य पक्ष।
2. श्री रवि गोदारा, अभिभाषक अप्रार्थी।

—:निर्णयः—

दिनांक :—14.08.2024

प्रार्थी श्री रफीक मोहम्मद, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री रफीक मोहम्मद दिनांक 25.04.2023 को समय 12.15 बजे मय साथी टीम व समान के साथ वास्ते खाद्य पदार्थ दुकान निरीक्षण एवं नमूनीकरण मैसर्सः—सेतिया डेयरी, नई आबादी, गली नं. 19, हनुमानगढ़ टाउन, जिला हनुमानगढ़ पर पहुचे। वहां पर गौरव पुत्र मोहनलाल अरोड़ा (विक्रेता) निवासी—वार्ड नं. 26, नई आबादी, गली नं. 19, हनुमानगढ़ टाउन, जिला हनुमानगढ उपस्थित मिला। उक्त विक्रेता के पास फ्रिज में पनीर तादाद करीब 02 किलोग्राम आमजन के विक्रय हेतु रखा हुआ था। जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मिलावट का शक होने पर विक्रेता से 01 किलोग्राम पनीर नमूना जांच वास्ते क्रय कर लिया। जिसको चार बराबर भागो मे बांटकर चार साफ सुखी खाली प्लास्टिक की शीशीओं में भरकर लिया तथा प्रत्येक शीशी के पनीर में 20—20 बूंदे फॉर्मलिन की डाली गई। मौके पर ही विक्रेता को पनीर के खरीद मूल का 300/—रूपये का नगद भुगतान किया तथा माल खरीद रसीद बनवाकर ली। जिस पर विक्रेता, गवाहान एव खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। माल खरीद रसीद/कैश मीमो परिवाद संग संलग्न है। प्रार्थी द्वारा सैम्पल लेने से पूर्व फार्म नं 5 ए की प्रति पर नोटिस देकर यह बता दिया कि नमूना वास्ते जांच लिया गया है। फार्म 5 ए पर विक्रेता तथा गवाहान ने पढ़कर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये तथा तस्दीक कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नं. 5 ए की प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खरीदशुदा पनीर 01 किलोग्राम को चार बराबर भाग में प्लास्टिक की शीशीओं में भरकर लिया और चार लेवल तैयार कर लेबल पर विक्रेता गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर कर लेबल स्लिप कोड न. एके—2594 मिन पर दर्ज कर चारों शीशीओं पर चिपकाया। प्रत्येक शीशी को मोटे खाकी कागज में लपेटकर ऊपर से नीचे मुख्य चिकि[illegible] हनुमानगढ एव जिला अभिहित अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा हस्ताक्षरित पेपर स्लिप कोड[illegible]94 मिन पर दर्ज कर चारो शीशीओं पर चिपकाया। प्रत्येक शीशी [illegible] व चार—चार जगह से सील चपडी किया। सील्ड [illegible] के हस्ताक्षर करवाये एव तस्दीक कर स्वय खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारो नमूना भागों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे में लिया। समस्त की गई कार्यवा[illegible] की मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर विक्रेता एवं गवाहान को समझा व सुनाकर हस्ताक्षर करवाये एव तस्दीक कर स्वय खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फार्म नं0 6 कार्यालय में तैयार किया एव नमूना सील किया गया। एक नमूना मय फार्म नं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सील मोहर कर श्रीमान खाद्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.08.27 17:18:15 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णायक अधिकारी एवम्
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर को जांच हेतु जमा कराया गया। फूड एनालिस्ट पब्लिक हैल्थ लैबोरेट्री से नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ ने प्रार्थी (आवेदक) को नमूने की जांच रिपोर्ट क्रमांक 589 दिनांक 05.05.2023 जिसके अनुसार नमूना जांच Substandard Food प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी ने उक्त प्रकरण से संबंधित सभी दस्तावेज अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश करने को कहा गया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ ने विक्रेता को पुनः जांच हेतु पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2023/8101–02 दिनांक 16.05.2023 द्वारा रजिस्टर्ड डाक के द्वारा सूचित किया। नमूना विक्रेता ने नमूने के दूसरे भाग की रैफरल फूड लैब से जांच हेतु निर्धारित अवधि या उसके पश्चात् कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। प्रार्थी (आवेदक) द्वारा अनुसंधान कार्य पूर्ण होने के बाद समस्त कागजात अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ को वास्ते लिखित अभियोजन स्वीकृति प्रस्तुत किये। अभिहित अधिकारी ने समस्त कागजातों का अवलोकन कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को न्याय निर्णयन आवेदन सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया। इस प्रकरण में अप्रार्थी ने Substandard खाद्य पदार्थ पनीर का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (2) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 51 में वर्णित है। उपलब्ध कागजात के अवलोकन के आधार पर पनीर विक्रेता एवं मालिक एफएसएसए 2006 की धारा 31 की श्रेणी में आते हैं। इसलिए विक्रेता पर नियमानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया।

अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर बहस की गई कि अप्रार्थी की दुकान से लिये गये पनीर के सैंपल में मिल्क फैट की मात्रा औसत से 04.97 प्रतिशत कम पाई गई है जो कि पनीर के भीतर बदले हुये रासायनिक वातावरण का भी प्रभाव हो सकता है, क्योंकि पनीर केवल मात्र दूध की रासायनिक क्रिया से तैयार किया जाता है, जो माईक्रोबियल चपापच्य और एन्जाईमेटिक और गैर–एंजाईम गतिविधि पर इसके प्रभाव के माध्यम से होता है एवं यह प्रभाव केवल मात्र प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिस पर अप्रार्थी का कोई नियंत्रण नही है। उक्त नमूना मई माह के अंतिम समय में लिया गया था। मई माह का तापमान दूध वसा को प्रभावित करता है, साथ ही नमूना लेने एवं जांच के मध्य लगे समय में नमूना उचित तापमान पर न रखे जाने से भी ऐसा प्रभाव दृष्टिगोचर हो सकता है। अप्रार्थी को पुनः जांच संबंधी कोई पत्र नहीं भेजा गया था। अप्रार्थी को केवल इस्तागासे का नोटिस प्राप्त हुआ था। अंत में अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा उक्त कार्यवाही ड्राप किये जाने बाबत निवेदन किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लैब रिपोर्ट अनुसार अधिक से अधिक जुर्माना अधिरोपित करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों के कथनों पर गौर किया व पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थी द्वारा खण्डन किसी प्रकार का साक्ष्य आधारित नहीं किया गया है और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों से प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी से निरीक्षण के दौरान क्रय किये गये पनीर की जांच में Sub-Standard की रिपोर्ट आई है। ऐसी स्थिति में हम अन्य साक्ष्यों को तलब करना आवश्यक नहीं समझते हैं और स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी द्वारा Sub-Standard पनीर का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अतः अप्रार्थी द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थी के Sub-Standard कृत्य के लिए धारा 51 के तहत 8,000/–(अखरे रूपये आठ हजार मात्र) की शास्ति आरोपित की जाकर यह आदेश दिया जाता है कि लगाई गई शास्ति [illegible] एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में [illegible] एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें। निर्णय की [illegible] जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 14.08.2024 को लिखाया [illegible] खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.08.27 17:18:15 IST
Reason: SelfAttested

(उम्मेदी लाल मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़